"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 30, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.)/पांच (99).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा "नया रायपुर" परियोजना हेतु "नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी" के पक्ष में निष्पादित निजी भूमि क्रय संबंधी लिखतों पर वर्ष 2006-07 के लिये 31 मार्च, 2007 तक तत्काल प्रभाव से स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.)/पांच (99).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.)/पांच (99) दिनांक 21-12-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 21st December 2006

NOTIFICATION

No. F 10-112/2006/CT/(R)/V (99).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby remits the stamp duty upto 31st march, 2007, chargeable on instruments executed in favour of "Naya Raipur Development Authority" relating to purchase of private land, under the "Naya Raipur" project for the year 2006-07 with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.)/पांच (100).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा "नया रायपुर" परियोजना हेतु "नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी" की स्वीकृत पुनर्वास योजना के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त प्रतिकर (मुआवजा) की रकम से, उनके पक्ष में निष्पादित भूमि/मकान क्रय करने संबंधी अंतरण की लिखतों पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :-

(i) "नया रायपुर" परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर (मुआवजा) की राशि प्राप्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि में, विलेख निष्पादित किया हो.

(ii) क्रय मूल्य की राशि प्राप्त प्रतिकर (मुआवजा) की राशि से अधिक नहीं है तथा जहाँ क्रय की जाने वाली ऐसी भूमि/मकान का बाजार मूल्य, प्रतिकर (मुआवजा) राशि से अधिक है, वहाँ संपत्ति के शेष बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क देय होगा.

(iii) क्रय की गई भूमि/मकान छत्तीसगढ़ राज्य में हो.

(iv) "नया रायपुर" परियोजना के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र में नाम, पिता/पति का नाम, संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण, प्रतिकर (मुआवजा) की रकम तथा प्रतिकर (मुआवजा) प्राप्ति का दिनांक, दर्शाकर प्रभावित व्यक्ति को जारी किया गया है.

(v) ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिये प्रस्तुत क्रय विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग होगा.

(vi) ऐसा व्यक्ति जो प्रभावित व्यक्ति की परिभाषा के जैसा कि "नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी" की स्वीकृत पुनर्वास योजना में परिभाषित किया गया है, अन्तर्गत आता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.)/पांच (100).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.)/पांच (100) दिनांक 21-12-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 21st December 2006

NOTIFICATION

No. F 10-112/2006/CT/(R)/V (100).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby remits the stamps duty, chargeable on instruments of conveyance, executed in favour of affected persons with immediate effect, for the purchase of land/ house from the amount received as compensation under the rehabilitation scheme sanctioned by "Naya Raipur Developement Authority" for "Naya Raipur" Project, subject to following conditions, that ;

(i) the deed is executed within a period of one year from the date of receipt of compensation by effected persons of "Naya Raipur" project.

(ii) the purchase amount does not exceed the compensation amount received & where the market value of the land/ house to be so purchased exceeds the compensation amount, stamp duty shall be payable on the remaining market value of the property.

(iii) the land/house is purchased within the State of Chhattisgarh.

(iv) a certificate bearing the name, father's/ husband's name, complete details of property, amount of compensation and the date of receipt of compensation, is issued to the effected person by the officer authorised under the "Naya Raipur" project in this behalf.

(v) such certificate is enclosed in original with the office copy of the document presented for registration and form a part of record.

(vi) the person falls under the definition of "effected persons" as defined in the sanctioned rehabilitation scheme of "Naya Raipur" project.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.